बुनकरों को फ्लैट रेट पर ही मिलेगी बिजली, अप्रैल से लागू होंगी नई दरें

लखनऊ। प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली मिलती रहेगी। शासन ने फैसला किया है कि 31 मार्च 2021 तक बुनकरों को 14 जून 2006 को जारी शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार ही बिजली दर में छूट का लाभ मिलता रहेगा। 1 अप्रैल से नई दरें प्रभावी होंगी। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग ने अप्रैल 2021 से बुनकरों के पावरलूम पर लागू होने वाली दरें तय भी कर दी हैं।

बुनकरों के लिए फ्लैट रेट पर बिजली की सुविधा समाप्त करके 1 जनवरी 2020 से बिजली दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना लागू करने का फैसला किया गया था। इसके विरोध, बुनकरों के आंदोलन के चलते सरकार ने जुलाई 20 तक 2006 के शासनादेश के अनुसार फ्लैट रेट पर बिजली की सुविधा बहाल कर दी थी। बुनकर प्रतिपूर्ति योजना का लगातार विरोध करते हुए फ्लैट पर ही बिजली की सुविधा चाहते हैं। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव रमा रमण ने बताया कि बुनकरों को 31 मार्च 2021 तक 2006 के शासनादेश के अनुसार फ्लैट रेट पर ही बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत सब्सिडी योजना होगी। अप्रैल 2021 से भी बुनकरों को फ्लैट पर ही बिजली मिलेगी, लेकिन दरें बढ़ जाएंगी। उन्होंने बताया कि पांच किलोवाट तक के कनेक्शन पर 1 हार्सपावर क्षमता के पावरलूम के लिए 600 रुपये प्रति पावरलूम प्रति माह की दर तय की गई है। 5 किलोवाट से 50 किलोवाट के कनेक्शन पर 1000 रुपये प्रति पावरलूम प्रतिमाह की दर तय की गई है। नई दरें 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होंगी। ब्यूरो